कक्षा 12

अध्याय - १ : उपनिवेशवाद और देहात

विषय : इतिहास

NOTES

RAJASTHAN, MP, UP, BIHAR, PUNJAB, HARYANA BOARD COVERED NCERT | CBSE

परिचय



उपनिवेशवाद का अर्थ

- किसी समूह एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना ।
- भारत में लंबे समय तक ब्रिटेन के द्वारा औपनिवेशिक शासन किया गया ।

- 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ ।

  ईस्ट इंडिया कंपनी **Vs** बंगाल का नवाब

  (अंग्रेज) सिराजुद्दौला

- भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ ।
- 1793 - लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा बंगाल में इस्तमरारी व्यवस्था / जमींदारी व्यवस्था / स्थायी बन्दोबस्त लागू किया गया।

  कृषक - जमींदार - ईस्ट इंडिया कंपनी

  ↓

- सूर्यास्त कानून के तहत जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी ।

1. बंगाल और वहां के जमींदार :-

- जमींदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई ?
- अंग्रेज (ईस्ट इंडिया कम्पनी) राजस्व से प्राप्त आय को निश्चित करना चाहते थे ।

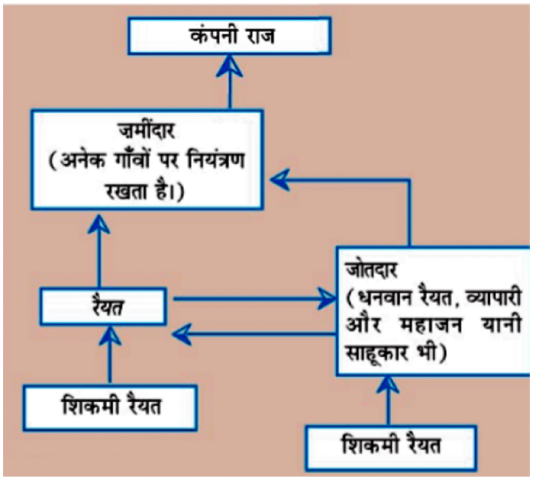
- जमींदारों के पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे।
- जमींदार वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा ।
- 1793 ई. में इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू होने के बाद जमींदार गाँव में भू-स्वामी नहीं रहा, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता (संग्राहक) मात्र था ।
- सूर्यास्त कानून के तहत जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी ।

जमींदारों की असफलता के कारण

1. प्रारम्भिक मांगें बहुत ऊँची थी।
2. यह ऊँची मांगें 1790 के दशक में लागू की गयी थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीचीं थी ।
3. राजस्व असमान था (अकाल)
4. प्रारम्भ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गयी थी।

जोतदारों का उदय

- जोतदार - धनी किसानों का समूह



जमींदार की ओर से प्रतिरोध :-

- जमींदारी/भू-संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने नयी रणनीतियां बनायी ।

1. फर्जी बिक्री- जैसे बर्दवान में की गयी नीलामी की घटना।
2. नए जमींदार को जमीन का कब्जा नहीं देते थे।
3. पुराने रैयत नए जमींदार का विरोध करते थे।

- 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मंदी की स्थिति समाप्त हो गयी ।
- इसके बाद जमींदारों ने सत्ता को सुदृढ़ बना लिया ।

कुदाल और हल

कुदाल : पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक

हल : नए बाशिंदों (संथाल) की शक्ति का प्रतीक

- राजमहल की पहाड़िया - झारखण्ड

↓

- यहां पहाडिया लोग रहते थे ।

↓

- झूम खेती करते थे।

↓

- अंग्रेजों के द्वारा कृषि भूमि का विस्तार किया गया।

↓

- ज्यों - ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता गया।
- जंगलों व चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया।

- पहाड़ी लोगों और स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज होता गया ।

संथाल - अगुआ बाशिंदे

संथाल विद्रोह :- 1855-56

- संथाल लोग 1780 के आस-पास बंगाल में आने लगे थे।

↓

- संथाल मुख्यतः कृषक थे।

↓

- जमींदार लोगों ने नयी कृषि भूमि तैयार करने और कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया ।

↓

- 1832 तक, जमीन के एक काफी बड़े इलाके को "दामिन- ए-कोह" के रूप में सीमांकित कर दिया गया।

↓

दामिन-ए-कोह - यह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था।

- ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन-ए-कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था।

↓

सरकार (राज्य) ने भारी कर लगाए ।

↓

साहूकार (दिकू) लोग संथालों की जमीन हड़प लेते थे ।

↓

संथाल विद्रोह हुआ - 1855-56

नेता - सिधू मांझी

प्रतीक - हल





देहात विद्रोह :-

- बम्बई दक्कन (पूना)
- 22 मई 1875 किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह पूना के एक गांव सूपा से प्रारम्भ हुआ।

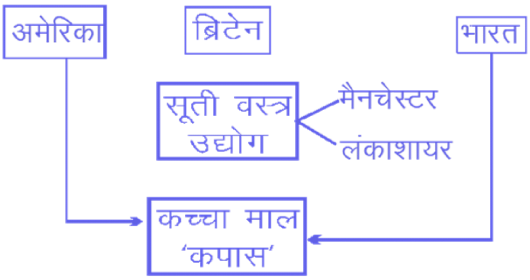
क्यों?

एक नयी राजस्व प्रणाली :-

- रैयतवाडी बन्दोबस्त : बम्बई दक्कन में लागू की गयी (मद्रास, बम्बई और असम)
- हर 30 वर्ष बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी ।
- 1820 ई. में सम्पूर्ण मद्रास में थामस मुनरो के द्वारा लागू की गयी।
- राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी ।
- अकाल के समय भी राजस्व कठोरतापूर्वक वसूल किया जाता था।

फिर कपास में तेजी आई :-

- 1860 से पहले ब्रिटेन में कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था।
- सन् 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ गया।



- 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई ।
- 1859 में मैंनचेस्टर कॉटन कम्पनी बनायी गयी।

उद्देश्य :- "दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोतसाहित करना था, जिससे कि उनकी कम्पनी का विकास हो सके।"

- ब्रिटेन कपास की आवश्यकता है।

↓

- कपास सौदागर / साहूकार

↓

- भारतीय किसान

(प्रति एकड़ के लिए 100 रूपये अग्रिम राशि दी जाने लगी)

- 1862 में ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति का 90 प्रतिशत भाग भारत से जाने लगा ।

↓

कपास उत्पादकों को क्या मिला?

ऋण का स्त्रोत सूख गया :-

- 1865 तक अमेरिका में गृह युद्ध बंद हो गया।

↓

- अमेरिका में कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया।

↓

- भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गयी

↓

- व्यापारी और साहूकारों ने कपास उत्पादकों को ऋण देने बंद कर दिये ।

- सरकार द्वारा लगान भी बढ़ा दिया गया ।

भाड़ा-पत्र

जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व-जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था। इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए, जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा-पत्र (किरायानामा) लिखना पड़ता था जिसमें यह साफतौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं हैं। विवाद छिड़ने पर, ये दस्तावेज़ न्यायालयों में मान्य होते थे।

नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज़ का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था (यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है।) :

मैंने आपको देय ऋण के खाते में, आपको अपनी लोहे के धुरों वाली दो गाड़ियाँ, साज-समान और चार बैलों के साथ बेची हैं... मैंने इस दस्तावेज़ के तहत उन्हीं दो गाड़ियों और चार बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको चार रुपए प्रतिमाह की दर से उनका किराया (भाड़ा) दूँगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूँगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूँगा कि किराया नहीं चुकाया गया है।

अन्याय का अनुभव :-

कर्ज़ कैसे बढ़ते गए

दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी :

एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंधपत्र के आधार पर 100 रु. की रकम 3-2 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज़ लेने वाला इस रकम को बांड पास होने की तारीख से आठ दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के तीन साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिला कर बनी राशि (मिश्रधन) के लिए एक अन्य बांड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। तीन साल ओर 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बांड पास किया जाता... (यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है)... 12 वर्ष के अंत में... 1000 रु. की राशि पर उसका कुल ब्याज 2,028 रु. 10 आना 3 पैसे हो जाता है।